मंत्रालयों की सलाह से एक जैसे भरती के नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । संघ लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर लेने के बाद इन नियमों को लागू किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा तालाबन्दी

1019. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 29 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप हुई तालाबन्दी के कारणों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अभी इस कार्य में कितना समय लग जाने की संभावना है; और

(घ) हड़ताल के फलस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) प्रबन्धकों द्वारा पुनर्गठन की योजना चालू करने सम्बन्धी एक औद्योगिक विवाद को अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली के पास न्यायनिर्णय के लिए भेज दिया गया है। न्यायाधिकरण ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) न्यायाधिकरण द्वारा कुछ और समय लेने की सम्भावना है।

(घ) उत्पादन में कमी और विक्रय में हानि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

Language of U.P.S.C. Examinations

1020. **Shri S. Supakar:**
Shri N. R. Laskar:
Shri Sidheshwar Prasad:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the arrangement to hold the examinations of the Union Public Service Commission in the regional languages has been finalised; and

(b) if so, from which year the examinations will be held in the regional languages?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). No, Sir. The matter is still under detailed examination in consultation with the U.P.S.C. No firm indication of the year from which examinations will start in the regional languages can be given at present.

प्रधान मंत्री के लिये सुरक्षा व्यवस्था

1021. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री शारदा नन्द :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री वि० ब० सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री 29 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने इस बीच प्रधान मंत्री के उड़ीसा के दौरे में उनकी

सुरक्षा की व्यवस्था सम्बन्धी मामले की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). राज्य सरकार की जांच के ब्यौरे की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली नगरपालिका के नये स्कूल

1022. श्री ओंकार लाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए 1967–68 में नई दिल्ली नगरपालिका का विचार कितने नये स्कूल खोलने का है तथा उनका विवरण क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): 1967–68 में कोई नया स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि दाखिला चाहने वाले सभी नये विद्यार्थियों को विद्यमान स्कूलों द्वारा दाखिल किये जाने की आशा है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का बड़ी संख्या में आना

1023. श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर पुनः आना आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक अथवा दो महीनों में पाकिस्तान से पहली बार त्रिपुरा आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और किन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने पर बाध्य किया; और

(ग) क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना दी है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, नहीं। तथापि निकटवर्ती कुछ महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा आने वाले प्रव्रजकों के प्रवाह में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार 1-3-1967 से 13-5-1967 तक 2,907 व्यक्तियों के 510 परिवार पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा आये हैं। उनके द्वारा प्रव्रजन के बताये गये मुख्य कारण निम्न थे :—

(1) उनके धार्मिक संस्कारों तथा शिक्षा पद्धति में हस्तक्षेप के फलस्वरूप असुरक्षा की भावना,

(2) पूर्वी पाकिस्तान में कठिन आर्थिक स्थिति तथा बहुमत समुदाय द्वारा आर्थिक बहिष्कार,

(3) बड़े पैमाने पर स्त्रियों से छेड़-छाड़, हरण तथा बलात्कार,

(4) बहुमत समदाय के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में स्थानीय अधिकारियों तथा न्यायालयों द्वारा निवारण प्राप्त करने में असमर्थता।

(ग) जी, हां।

Inter-State Border Disputes

1024. Shri Swell:
Shri Kikar Singh:
Dr. Karni Singh:
Shri Kolai Biruai

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the names of the States which